न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 40 / 2022 / 75 एलआरएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट

बनाम

1. मंगतू पुत्र श्री आदू (फौत)
1/1. सावित्री देवी धर्मपत्नी स्व.श्री मंगतू जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
1/2. संतरो देवी पुत्री स्व.श्री मंगतू धर्मपत्नी श्री विजय सिंह जाति कुम्हार निवासी चक्का तहसील रानियां जिला सिरसा हरियाणा।
1/3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व.श्री मंगतू जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
1/4. राधा पुत्री स्व.श्री मंगतू धर्मपत्नी श्री सुभाष जाति कुम्हार निवासी अमरपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
1/5. सुनीता पुत्री स्व.श्री मंगतू धर्मपत्नी श्री कृष्ण कुमार जाति कुम्हार निवासी केलनिया तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
1/6. विनोद कुमार पुत्र स्व.श्री मंगतू जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. लिछमण पुत्र श्री आदू जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. रामकुमार पुत्र श्री आदू जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.08.2010 एवं संशोधित आदेश दिनांक 02.12.2010 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ के प्रकरण संख्या 30 / 2008 बअनवानी ''राज.राज्य बनाम मंगतू आदि''

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः—

1. श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक, अपीलांट

2. श्री कानाराम वर्मा अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांकः– 31.05.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ने डिप्टी कलैक्टर जमींदारी एवं बिस्वेदारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 839 दिनांक 22.04.85 प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट मंगतू, लिछमन, रामकुमार वल्द आदु कौम कुम्हार निवासी रामपुरा के पास चक 2 ए.जी. के पत्थर नम्बर 217/346, 218/347 में 18 बीघा 6 बिस्वा व चक 1 आर.डब्ल्यू.डी. में 30 बीघा 6 बिस्वा कुल 48 बीघा 12 बिस्वा भूमि गैरदाखिलकारी की होनी बतलाई है जिसको अप्रार्थी ने आज तक आवंटन नहीं करवाई है अतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को राजस्थान गैर दाखलकार पैंतालिसा अलॉटमेंट नियम 1970 की शर्त संख्या 6 (2) का नोटिस दिया जावे जिस पर डिप्टी कलैक्टर जमींदारी एवं बिस्वेदारी श्रीगंगानगर यह प्रकरण दिनांक 26.04.85 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को इस आशय का नोटिस जारी किया कि चक 2 ए.जी. के पत्थर नम्बर 217/346, 218/347 की 18 बीघा 6 बिस्वा व चक 1 आर. डब्ल्यू.डी. की 30 बीघा 6 बिस्वा कुल 48 बीघा 12 बिस्वा भूमि गैरदाखिलकारी की है जिसका अप्रार्थीगण ने आवंटन नहीं कराया है। इस पर अप्रार्थीगण ने उपस्थित आकर आवंटन का प्रार्थना पत्र संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया। क्षेत्राधिकार कार्य विभाजन पर यह प्रकरण न्यायालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2000 को पेश किया गया जिसमें कथन किया कि मृतक आदू की कृषि भूमि चक 2 ए.जी. के पत्थर नम्बर 217/346 किला नम्बर 11 से 20, 21 की 18 बिस्वा, 22 की 18 बिस्वा, 23 की 18 बिस्वा, 24 की 18 बिस्वा, 25 की 18 बिस्वा, तादादी 14 बीघा 10 बिस्वा, पत्थर नम्बर 218/347 के किला नम्बर 1 की 18 बिस्वा, 2 की 18 बिस्वा, 9, 10 कुल 3 बीघा 16 बिस्वा व चक 1 आर.डब्ल्यू.डी. के पत्थर नम्बर 215/345 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, 19 से 22 तादादी 10 बीघा व पत्थर नम्बर 214/345 किला नम्बर 1 की 11 बिस्वा, 2 से 9, 10 की 7 बिस्वा, 11 की 1 बिस्वा, 13 से 18, 19 की 16 बिस्वा, 22 की 11 बिस्वा, 23 से 25 तादादी 20 बीघा 6 बिस्वा कुल तादादी 30 बीघा 6 बिस्वा भूमि गैरदाखिलकारी की थी। दोनों चकों का सकल योग 48 बीघा 12 बिस्वा है। अप्रार्थीगण व उसके पूर्वज उक्त भूमि सम्वत 2016 से पहले सें ही काश्त करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के पिता आदू की मृत्यु तक उसका कब्जा काश्त था, इसके बाद अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई खातेदारी या गैरखातेदारी भूमि नहीं है। भूमि निर्धारित सीलिंग सीमा से कम है अतः भूमि का आवंटन किया जावे। न्यायालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ द्वारा उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 29.11.2002 को निर्णय पारित कर प्रश्नगत भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील दायर की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2003 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ के आदेश को अपास्त कर प्रश्नगत भूमि 48 बीघा 16 बिस्वा का गैरदाखिलकारी शर्तों की शर्त संख्या 9 (ग) के तहत अप्रार्थीगण को कीमतन आवंटन किया गया। राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 26.05.2003 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

विरूद्व स्टेट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 1064/06/एलआर/हनुमानगढ़ दायर की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 05.05.2008 पारित करते हुए राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय 26.05.2003 व न्यायालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 29.11.2002 को निरस्त किये जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय में उल्लेखित प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र के सम्बंध में प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करने के निर्देश दिये। न्यायालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ के समक्ष अप्रार्थी पक्ष द्वारा लिछमणराम का शपथ पत्र तथा पूर्व पारित अन्य निर्णयों की प्रतियां पेश करते हुए लिखित बहस पेश की। बाद सुनने बहस न्यायालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 04.08.2010 को निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थीगण को चक 2 ए.जी. की 14 बीघा 10 बिस्वा व चक 1 आरडब्ल्यूडी की 20 बीघा 6 बिस्वा कुल दोनों चकों की 44 बीघा 16 बिस्वा भूमि बहिस्सा बराबर 490/–रूपये प्रतिबीघा की दर से आवंटन की गई तथा चक 3 ए.जी. के पत्थर नम्बर 218/347 किला नम्बर 1 की 18 बिस्वा, 2 की 18 बिस्वा, 9, 10 कुल 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि अराजीराज घोषित कर कब्जा बहक सरकार लेने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 152 सी.पी.सी. पेश कर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2010 में जारी आवंटन आदेश में चक नम्बर 2 ए.जी. के पत्थर नम्बर 217/346 किला नम्बर 22 में 0–18 बिस्वा सहबन से लिपिकीय भूल के कारण अंकित होने से रह गया व इसी प्रकार चक 1 आरडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/345 के किला नम्बर 1/0–11 की जगह भूल से 11/0–11 लिखा गया तथा किला नम्बर 10/0–7 की जगह 1/0–7 लिखा गया है जो रिकार्ड के अनुसार गलत है अतः 2 ए.जी. के पत्थर नम्बर 217/346 के किला नम्बर 22 में 0–18 बिस्वा अंकित किये जाने तथा इसी प्रकार चक 1 आरडब्ल्यूडी के पत्थर नम्बर 214/345 के किला नम्बर 1 में 0–11 बिस्वा, किला नम्बर 10 में 0–07 बिस्वा भूमि का अंकन कर संशोधित आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ ने पत्रावली पेशी में लेकर दिनांक 02.12.2010 को संशोधित आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट राज.राज्य ने उक्त अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट को शर्त संख्या 9 (ग) के तहत सम्वत 2012 से कब्जा होना मानकर आवंटन की है परन्तु प्रश्नगत भूमि पर सम्वत 2012 से कब्जा के सम्बंध में रेस्पोडेंट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। आवंटनशुदा भूमि निर्धारित दिनांक 15.11.1961 को रेस्पोडेंट के धारण में बतौर गैर दाखिलकार नहीं थी इस कारण रेस्पोडेंट भूमि आवंटन करवाने का [illegible] था। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के [illegible] बिना विधिक प्रकिया अपनाए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किया जावे तथा दफा–5 मियाद अधिनियम के सम्बंध में निवेदन [illegible] कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2010 पारित होने के पश्चात् पत्रावली विधिक परीक्षण हेतु जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा तलब कर ली गई थी तथा विधिक परीक्षण होने के बाद दिनांक 02.02.2011 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर उक्त अपील प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की जा ही है इसलिये उक्त अपील में हुई देरी माफ किये जाने योग्य है तथा निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

4. रेस्पोडेंट की ओर से लिखित बहस पेश की गई तथा मौखिक रूप से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय (तत्कालीन ए.डी.एम. जागीर श्रीगंगानगर) द्वारा रेस्पोडेंट की चक 1 आर.डब्ल्यू.डी. व 2 ए.जी. की 48 बीघा 12 बिस्वा भूमि गैरदाखिलकार की कब्जा काश्त में होना व उक्त भूमि का राजस्थान गैरदाखिलकार पैंतालिसा आवंटन नियम 1970 के तहत नियमानुसार आवंटन न करवाने पर राजस्थान गैरदाखिलकार पैंतालिसा आवंटन नियम 1970 के तहत नियमानुसार आवंटन करवाने हेतु शर्त संख्या 6 (2) के तहत नोटिस दिया। उक्त नोटिस की पालना में मंगतूराम आदि ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.06.1985 को उपरोक्त भूमि आवंटन करवाने हेतु विधि अनुसार प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेंट मंगतूराम आदि ने उक्त आवेदन पत्र में प्रश्नगत 48 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपने पिता आदू के सम्वत 2010 से पूर्व की कब्जा काश्त होना व उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि धारण में न होना व वर्तमान में बतौर गैरदाखिलकार भूमि पर कब्जा होने व वर्तमान में बतौर गैरदाखिलकार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर निःशुल्क आवंटन करवाने हेतु प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसील से जांच करवाकर दिनांक 29.11.2002 को बिना किसी आधार के भूमि नियमानुसार आवंटन न करवानी मानकर व कब्जा विधि विरूद्व होना मानकर भूमि को बहक सरकार रिज्यूम करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 4/2003 बअनवानी ''मंगतूराम आदि बनाम राज.राज्य'' प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.05.2003 को अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2002 को अपास्त कर दिया तथा माननीय न्यायालय ने दोनों चकों की कुल 48 बीघा 16 बिस्वा नहरी भूमि मंगतूराम आदि को राजस्थान उपनिवेशन पैंतालिसा क्षेत्र में गैरदाखिलकार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1970 की शर्त संख्या 9 (ग) के तहत मंगतूराम आदि को बहिस्सा बराबर 490/–रूपये प्रतिबीघा की दर से कीमतन आवंटन किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्व राजस्थान सरकार ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 1064/06/एलआर/हनुमानगढ़ प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 05.05.2008 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2003 को अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रति प्रेषित कर माननीय न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित मंगतूराम आदि द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र के सम्बंध में मंगतूराम आदि को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार निस्तारण करने का आदेश पारित किया। मंगतूराम आदि के धारण में खसरा नम्बर 37 व 50 जिसका वर्तमान चक 2 ए.जी. में 18 बीघा 10 बिस्वा व चक 1 आरडब्ल्यूडी में 30 बीघा 6 बिस्वा जो वर्तमान में चक 4 आरडब्ल्यूडी में [illegible] हुआ, सम्वत 2010 से बतौर गैरदाखिलकार कब्जा काश्त में थी [illegible] भूमि पर मंगतूराम के पिता आदूराम के कब्जा काश्त में थी तथा उसके पश्चात मंगतूराम आदि के कब्जा काश्त में उपरोक्त भूमि बतौर गैरदाखिलकार [illegible] व मंगतूराम आदि के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। भूमि पर लगातार कब्जा गिरदावरी सम्वत 2010 से आदूराम व उसके पश्चात उसके वारिसान का होना साबित है। रिपोर्ट तहसीलदार से भी भूमि का कब्जा रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित है। मंगतूराम आदि गैरदाखिलकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आवंटन शर्तें 1970 की शर्त संख्या 2 (ड) के अनुसार गैरदाखिलकार काश्तकार की श्रेणी में आते थे। उक्त भूमि आवंटन करने हेतु आवंटन अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 24.04.85 को ही शर्त संख्या 6 (2) के तहत नोटिस जारी किया था। उक्त नोटिस की पालना में मंगतूराम आदि ने दिनांक 10.06.85 को नियमानुसार आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने शर्त संख्या 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण जांच की व मंगतूराम आदि शर्त संख्या 9 (1–क) के तहत आवंटन करवाने के पात्र थे। अधीनस्थ न्यायालय की प्रथम फर्द अहकाम में यह अंकन है कि चक 1 आरडब्ल्यूडी की 30 बीघा 6 बिस्वा व चक 2 एजी की 18 बीघा 10 बिस्वा कुल 48 बीघा 16 बिस्वा भूमि नियमानुसार आवंटन नहीं करवाई है इसलिए शर्त संख्या 6 (2) राजस्थान गैरदाखिलकार आवंटन शर्तें 1970 के तहत नोटिस जारी किये जावें। इसी आदेश की पालना में नोटिस जारी हुए तथा मंगतूराम आदि ने आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। चूंकि गैरदाखिलकार आवंटन के शर्तों की शर्त संख्या 7 (1) में यह प्रावधान है कि शर्त संख्या–6 के अधीन नोटिस जारी होने पर ही गैरदाखिलकार काश्तकार भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगा इसलिये हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया था। निर्धारित तिथि 15.11.59 से पूर्व से ही उपरोक्त भूमि पर कब्जा आदूराम का रहा है तथा उसके पश्चात उसके वारिसान का रहा है। पर्चा खतौनी में भी उपरोक्त भूमि आदूराम के नाम दर्ज है तथा जमाबंदी सम्वत 2050 में भी मंगतूराम आदि के नाम उपरोक्त भूमि गैरदाखिलकार दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसील रेस्पोडेंट के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के जरिये मंगतूराम आदि को चक 2 एजी की 14 बीघा 10 बिस्वा व चक 1 आरडब्ल्यूडी की 30 बीघा 6 बिस्वा 44 बीघा 16 बिस्वा तथा चक 2 ए.जी. के पत्थर नम्बर 218/347 किला नम्बर 1 में 18 बिस्वा, 2 की 18 बिस्वा, 9, 10 की 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि को आराजीराज करने के आदेश दिये। इस आदेश की हद तक रेस्पोडेंट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 65/2010 प्रस्तुत की। अपील संख्या 65/2010 में अपीलांट ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बंध में रिकार्ड में मिलान करने पर खसरा व गिरदावरी के अनुसार 44 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही बनती है इस भूमि का आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है शेष भूमि से अपीलांट का किसी प्रकार से कोई हक हित व अधिकार नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को हर प्रकार से विधि सम्मत व सही होना स्वीकार किया है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.02.2012 को रेस्पोडेंट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 2768/2012 प्रस्तुत की। उक्त निगरानी की बहस में भी अपीलांट ने 44 बीघा 16 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट की बनना व इस भूमि का आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना स्वीकार किया। रेस्पोडेंट की [illegible] निगरानी दिनांक 21.01.2021 को खारिज हुई। इस आदेश के विरुद्ध रेस्पोडेंट [illegible] 1455/2021 प्रस्तुत की जो दिनांक 12.07.2021 को खारिज फरमायी गई। इस प्रकार अपीलांट ने जो अपीलाधीन आदेश में 44 बीघा 16 बिस्वा की [illegible] तक सही होना स्वीकार है, उसके विरूद्ध कथन करने से विबंधित है तथा दफा–5 [illegible]द अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश का अपीलांट को शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपीलांट ने अपील में हुई देरी के कारण के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है तथा दफा–5 मियाद मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलण्ट द्वारा प्रस्तुत दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स ापथ होने एवं अपील का निस्तारण गुंणावगुणपर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद भुमार की जाती है।

7. हां तक गुणावगुण काप्रश्न है अपीलाधीन निर्णय में वर्णित कुल 44 बीघा 16 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 37 व खसरा नम्बर 50 से बने हैं। जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 में खसरा नम्बर 50 की 36 बीघा 19 बिस्वा भूमि आदू पुत्र केसू के नाम दर्ज है व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 में उपरोक्त भूमि रामलाल, मेहरचंद, आदूराम पिसरान केसू के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है तथा सम्वत् 2013 से 2016 की खसरा गिरदावरी में आदू विकास दर्ज है। खसरा नम्बर 37 की 40 बीघा 18 बिस्वा भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 के अनुसार मेहरचंद, रामलाल, आदूराम पिसरान केसू बहिस्सा बराबर दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013 से 2016 में मेहरचंद, रामलाल, आदू पिसरान केसूराम के नाम बहिस्सा बराबर गैरदाखिलकार दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में 15.11.1959 की स्थिति देखी जानी है। दिनांक 15.11.1959 से पूर्व से ही आदूराम व उसकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान बतौर गैरदाखिलकार खसरा गिरदावरी में दर्ज है अर्थात दिनांक 15.11.1959 को इनका कब्जा गैरदाखिलकार के रूप में था। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अथवा इस न्यायालय में रेस्पोडेंट के कब्जा न होने के सम्बंध में कोई खण्डनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। दिनांक 15.11.1959 को प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा बतौर गैरदाखिलकार था। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया जांच करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय दिनांक 04.08.2010 एवं संशोधित आदेश दिनांक 02.12.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.5.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

31/5/22

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:59 IST
Reason: SelfAttested